भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दूरभाष सं. 011–23052044

187 / 20 / 2016(एसी) / दिनांक : 28.06.2016

टेंडर नोटिस

लगभग 241एयरकंडीशनरों (विंडो / स्पलिट / टावर / सीलिंग) / 2×15 पैकेज की 2 यूनिट / पेय जल के लगभग 4वाटर कूलरों की एक वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए अनुभवी एवं वित्तीय दृष्टि से मजबूत अधिकृत ऐसे सेवा प्रदाताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिनके पास सरकार के मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में एयर कंडीशनरों, पेय जल के वाटर कूलरों के अनुरक्षण का पर्याप्त अनुभव हो और जिनकी सेवा में सुयोग्य एयरकंडीशनर टेक्नीशियन हों। निर्दिष्ट संख्याएं अनंतिम हैं और दोनों ही तरफ (वृद्धि / कमी) 5 % का अंतर हो सकता है। निविदाएं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दो बोली प्रणाली यानि 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' के रूप में आमंत्रित की जाती हैं।

2. अलग–अलग लिफाफों में जिनके ऊपर 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' सुस्पष्ट एवं बड़े–बड़े अक्षरों में अंकित की गई हो, के साथ क्रमशःअनुबंध –**I** और **II**में संलग्न प्रोफार्मा में विधिवत रूप से भरी हुई और अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001 को संबोधित मुहरबंद निविदाएं निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में 15.07.2016 को अधिक से अधिक अपराह्न 3:00 बजे तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

3. निविदाकार दोनों ही बोलियों को उनकी प्राप्ति के एक ही दिन अर्थात् .06.2016कोअपराह्न 3:00 बजे तक एक साथ प्रस्तुत करेंगे। दोनों ही बोलियां पृथक एवं विधिवत रूप से मुहरबंद लिफाफों में रखी जानी चाहिएं जिन पर बड़े–बड़े एवं सुस्पष्ट अक्षरों में क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां अंकित किया जाना चाहिए और तीसरे लिफाफे, जिसके ऊपर 'भारत निर्वाचन आयोग में एयर कंडीशनरों एवं पेयजल के वाटर कूलरों तथा 2×15 पैकेज की 2 यूनिटों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोलियां सुस्पष्ट एवं बड़े–बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, में एक साथ रखी जानी चाहिए। मुख्य लिफाफा लाख से भी मुहरबंद किया जाना चाहिए।

4. निविदाकार या तो प्रत्यक्ष रूप में या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर, निविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो निविदा, निविदाकार के कानूनी मुख्तारनामे के अंतर्गत निविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। मुहरबंद निविदाएं सामान्य कार्यावधि के दौरान निर्वाचन सदन भवन के भूतल पर स्थित प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग में प्रस्तुत की जा सकती है।

5. विहित समय एवं तारीख के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक से हुए कोई नुकसान / विलंब के लिए भारत निर्वाचन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

6. तकनीकी बोलियां उसी दिन अर्थात् 15.07.2015 को 4:30 बजे कमरा सं0 209–ई में निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा खोली जाएंगी।

7. केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोलियों की शर्तों को पूरा करते हैं। वित्तीय बोलियों के खोलने की तिथि और समय के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। वित्तीय बोलियां अर्हता प्राप्त उन निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहते हैं,की उपस्थिति में आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा खोली जाएंगी।

8. भारत निर्वाचन आयोग किसी अथवा सभी निविदाओं को किसी भी चरण पर बिना कोई कारण बताए अंशतः या पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. निविदा का मूल्य शून्य है। निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय है।

10. अधोहस्ताक्षरी प्रतिग्रहण अधिकारी होंगे और इसमें इसके पश्चात इस संविदा के प्रयोजनार्थ इस रूप में संदर्भित किया जाएगा।

11. इसके अनुबंध विधिवत रूप से भरे जाने चाहिएं और अनुबंध–**I**तकनीकी बोली आवरण के साथ रखा जाना चाहिए जबकि अनुबंध–**II**वित्तीय बोली आवरण के साथ रखा जाना चाहिए।

12. इसलिए, सभी बोलीदाताओं के लिए अपेक्षित है कि वे अपने प्रस्ताव दो आवरणों में प्रस्तुत करें जैसाकि नीचे दिया गया है :–

(क) पहला आवरण (तकनीकी बोली) में निम्नलिखित विवरण होने चाहिए जैसाकि अनुबंध–**I** में विहित किया गया है :–

I विधिवत रूपसे पूर्ण और हस्ताक्षरित किन्तु उद्धृत दरें दर्शाए बिना निविदा दस्तावेज।

II धरोहर राशि जमा का विवरण

III अनुसमर्थक दस्तावेजों के साथ पिछले तीन वर्षों के निष्पादन विवरण।

IV इंजीनियर/टेक्नीशियन के नाम और पते। उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एयर कंडीशनिंग में योग्यता और डिप्लोमा होना चाहिए (प्रमाण पत्रों की प्रति के साथ)

V पैन/टिननं0 की प्रति

VI ऐसे अन्य कोई संगत दस्तावेज जिसे फर्म प्रस्तुत करना चाहती है और जो निविदा इन्क्वायरी के दिन वैध हो।

VII इस लिफाफे के ऊपर ''भारत निर्वाचन आयोग में एयर–कंडीशनरों एवं पेयजल के वाटर कूलरों के वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए तकनीकी बोली'' बड़े–बड़े एवं सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए।

(ख) दूसरे आवरण (वित्तीय बोली) में वित्तीय प्रस्ताव होने चाहिएं जिसमें अनुबंध–**II**में निर्दिष्ट विवरण दिए जाने चाहिएं।

(ग) संयुक्त बोली यानि वे प्रस्ताव जिनमें तकनीकी बोली में दरें निर्दिष्ट की गई हों, पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. धरोहर राशि :–रु 10,000/– **(मात्र दस हजार रुपए)** की धनराशि का डीडी/पे आर्डरकिसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम में जारी किया जाना चाहिए।

14. कोई विवाद होने की दशा में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

15. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फर्म को सभी भुगतान, बिल प्रस्तुत किए जाने पर फर्म द्वारा मरम्मत/अनुरक्षित की गई मशीनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में, एएमसी अवधि की चार तिमाहियों के कार्य के आधार पर किए जाएंगे।

16. निबंधन एवं शर्तें संलग्न हैं।

भवदीय,

बी.सी.पात्रा

(बी.सी. पात्रा)

अवर सचिव

निबंधन एवं शर्तें

(क) शब्द 'व्यापक अनुरक्षण' में संविदाकार के अनन्य जोखिम, उत्तरदायित्व और लागत पर ऐसे सभी ऑयलिंग, केमिकल वॉशिंग, गैस फिलिंग, कम्प्रेशर का प्रतिस्थापन, फिल्टर, थर्मोस्टेट, सभी प्रकार के मोटर, कैपेसीटर्स वायरिंग, सभी प्रकार के प्लग, पैड अन्य सभी कल–पुरजों के प्रतिस्थापन/मरम्मत सम्मिलित होंगे जो संविदा की प्रवर्तनावधि के दौरान मशीनों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह विभाग के प्रतिनिधि द्वारा और अनुभाग अधिकारी (एस एण्ड एम अनुभाग) के समग्र पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पुराने कल–पुरजों और नए कल–पुरजों का समुचित निरीक्षण किए जाने के बाद किया जाएगा।

(ख) संविदाकार के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह प्रवर्तनावधि के दौरान अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में मशीनों की मरम्मत/अनुरक्षण करे और किसी भी परिस्थिति में इसे उप–संविदा पर नहीं दिया जाएगा।

(ग) मशीनों के नियमित एवं उपयुक्त अनुरक्षण के लिए संविदाकार संविदा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सभी कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक इस विभाग में कम से कम दो योग्यताप्राप्त मेकेनिकों/टेक्नीशियनों को तैनात करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो टेक्नीशियनों की सेवाएं शनिवार/रविवार/अवकाश के दिनों में भी बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उपलब्ध कराई जाएगी। शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कम से कम दो मेकेनिक अनुभाग अधिकारी (सेवाएं एवं अनुरक्षण अनुभाग) के निकट सम्पर्क में बने रहेंगे।

(घ) संविदाकार पिछले महीने के दौरान मशीनों के संतोषजनक कार्यकरण के संबंध में महीने की पहली तारीख के दिन अनुभाग अधिकारी (सेवाएं एवं अनुरक्षण अनुभाग) से उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। किसी भी उपस्कर के 24 घंटों से अधिक समय के लिए खराब पड़े रहने की दशा में बिल से प्रत्येक चूक के लिए अनुरक्षण संविदा के प्रभारों की दुगुनी राशि के बराबर कटौतियां अलग से की जाएंगी।

(ड.) अगर किसी भी दशा में फर्म, शिकायत के समय से 24 घंटों के भीतर कार्य करने में सक्षम नहीं होती है तो उसे संविदाकार की लागत पर किसी अन्य फर्म से या खुले बाजार से करवाया जाएगा और उस पर हुए अतिरिक्त व्यय की उनसे वसूली की जाएगी। इसमें संविदा समाप्त किया जाना; निष्पादन जमानत की जब्ती और विभाग की किसी भी भावी संविदाओं से कम से कम तीन वर्षों के लिए रोकना, निहित होगा।

(च) संविदाकार फर्म द्वारा परिनियोजित कामगारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में प्रवृत्त विद्यमान श्रम/मजदूरी/कानूनों के अनुसार मजदूरी का भुगतान/देय राशि का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। निविदा और संविदा के शेष भाग से संबंधित सभी मामलों/विवादों का

विभाग के प्रमुख द्वारा या इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा। संविदा की शर्तें अनुप्रयोज्य भारतीय कानूनों के अंतर्गत निर्वचनीय हैं।

(छ) संविदाकार तैनाती से पहले कामगारों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करवाने की व्यवस्था करेंगे और उनके पूर्ण विवरण भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाएंगे।

(ज) संविदाकार सभी एयर कंडीशनरों/वाटर कूलरों/2X15 पैकेज की 2 यूनिटों को उनके उपसाधनों के साथ चालू हालत में विभाग को सौंपने के लिए उत्तरदायी होंगे और गड़बड़ी, यदि कोई हो, को ठीक करने की लागत का वहन निर्गामी संविदाकार द्वारा किया जाएगा।

(झ) मशीनों या सरकार की किसी अन्य सम्पति को लापरवाही या अन्यथा से हुआ कोई नुकसान संविदाकार के जोखिम, लागत और उत्तरदायित्व पर होगा।

(ञ) विभाग द्वारा फर्म को प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना या अन्यथा के मद में सिवाय इस संविदा के अंतर्गत अनुमत दरों के, कोई भी अतिरिक्त भुगतान/क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ट) कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। बिलों के प्रस्तुत किए जाने पर फर्म द्वारा मरम्मत/अनुरक्षित की गई मशीनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में एएमसी अवधि की चार तिमाहियों में, बिलों के प्रस्तुत किए जाने पर, भुगतान किया जाएगा।

(ठ) संविदा सामान्य तौर पर निम्नतम (बहुल मद निविदा के मामले में अधिकतर मदों के लिए) आकलित किए गए ऐसे बोलीदाता को दी जाएगी जिनकी बोली अनुक्रियाशील पाई गई है और जो निविदा पत्र में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संविदा का संतोषजनक निष्पादन करने के लिए पात्र और अर्हताप्राप्त हैं। विभाग संविदा की प्रवर्तनावधि के दौरान निर्बाध सर्विसिंग/रिपेयरिंग सुनिश्चित करने के लिए भिन्न–भिन्न मशीनों के लिए संविदा देने के लिए एक से अधिक फर्म चुनने का विकल्प सुरक्षित रखता है।

(ड) विभाग बिना कोई कारण बताए कोई भी कुटेशन, अंशतः या पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विभाग इस संविदा की प्रवर्तनावधि के दौरान संविदाकार द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक सेवाओं को वास्तव में ध्यान में रखकर संविदा को उस/उन अवधि (यों) के लिए नवीकृत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है जो यह आवश्यक समझे।

(ढ) कोई भी सशर्त बोली स्वीकृत नहीं की जाएगी और ऐसी बोलियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार से सरसरी तौर पर अस्वीकृत किए जाने की भागीदार होंगी। अगर किसी भी बोलीदाता को निविदा के निबंधन एवं शर्तों के संबंध में आपत्ति है तो निविदा दस्तावेजों के जारी किए जाने के 10 दिनों के भीतर उसका उल्लेख किया जाए। उद्धृत दरें निविदा खुलने के 45 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए खुली रखी जाएगी।

(ण) जिस निविदाकार की कुटेशन अंतिम रूप से स्वीकृत की जाती है उन्हें अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम में 15,000/–रु मात्र (पन्द्रह हजार रूपये

मात्र) की राशि की निष्पादन सिक्यूरिटी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में उपलब्ध करानी होगी। निष्पादन सिक्यूरिटी संविदा के समाप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

(त) भावी बोलीदाता कोई भी स्पष्टीकरण मांगने/भारत निर्वाचन आयोग के लिए जिस प्रकार की अपेक्षाएं अपेक्षित हैं उन्हें देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रयोजन के लिए अनुभाग अधिकारी (सेवाएं एवं अनुरक्षण), कमरा सं0 209–ई निर्वाचन सदन, नई दिल्ली–110001 (टेलीफोन नं0 011–23052044) से निविदा खुलने के पहले किसी भी कार्यदिवस में पहले से समय लेकर, सम्पर्क कर सकते हैं।

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोली लगाने वाली फर्म का नाम :–

2. टेलीफोन तथा फैक्स संख्या सहित पूरा पता :–

3. जमा की गई बयाना राशि का ब्योरा (रू0 10,000/–)

. . . .

. . . .

4. पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी विभागों/मंत्रालयों द्वारा बोलीदाता को दी गई समान संविदा का ब्योरा दें। (दस्तावेजी साक्ष्य सहित)

. . . .

. . . .

5. तैनात किए जाने वाले इंजिनियरों/तकनीशियनों के नाम व पते जिन्हें मान्यताप्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा/डिग्री सर्टिफिकेट के साथ कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो।

. . . .

. . . .

6. ए एम सी की देखभाल करने वाले पर्यवेक्षक का नाम, पता व संपर्क नं0

. . . .

. . . .

7. पैन/टिन सं0 :– ....
8. यह प्रमाणित करें कि क्या फर्म हाल में किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट की गई है। यदि हां तो उसका विवरण दें।

. . . .

. . . .

9. व्यापार प्रारंभ करने की तारीख (न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष होना चाहिए) :–
10. अंतिम 3 वित्तीय वर्षों में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की प्रति :

- 2013–14
- 2014–15
- 2015–16

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता ....
मुहर ....
दिनांक ....

वित्तीय बोली प्रपत्र

क्र. सं0	मद का नाम	प्रति इकाई के हिसाब से उद्धृत दर (रु में)
क	एयर कन्डीशनर (स्पलिट / विन्डो / टॉवर / सीलिंग)	
1.	पूर्ण व्यापक वार्षिक रख–रखाव सेवा अनुबंध जिसमें एयरकंडीशनर में लगे सभी पुर्जों तथा उनसे संबंधित पुर्जों का आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापन शामिल है। संविदा में अपेक्षित पुरजों के प्रतिस्थापन सहित एयर कंडीशनरों से संबद्ध स्टेबलाइजरों का रख–रखाव और व्यापक सेवा शामिल है।	
2.	स्थापन प्रभार इसमें सामग्री का मूल्य तथा श्रम सम्मिलित है	
ख	ड्रिंकिंग वाटर कूलर्स	
1.	पूर्ण व्यापक वार्षिक रख–रखाव सेवा अनुबंध जिसमें ड्रिंकिंग वाटर कूलर तथा आवश्यकतानुसार इससे संबंधित पुर्जों का प्रतिस्थापन शमिल है।	
ग	**2X**15 टी आर पैकेज टाईप एयर–कंडीशनर	
1.	पूर्ण व्यापक वार्षिक रख–रखाव सेवा संविदा जिसमें एयर कंडीशनर में लगे सभी पुर्जों तथा इससे संबंधित आवश्यक पुर्जों का प्रतिस्थापन शमिल है।	
2.	सर्विस चार्ज	

मैं / हम एतद्द्वारा वचन देता हूं / देते हैं कि हमारी लापरवाही के कारण सरकार की किसी एसी यूनिट या अन्य किसी सम्पत्ति को हुई हानि / क्षति की भरपाई करेंगे। मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैंकि इस संविदा के संबंध में किसी उपबंध के कारण उठे विवाद के मामले पर अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और हमारे लिए बाध्यकारी होगा। मैं / हम वचन देता हूं / देते हैं कि अवर सचिव के निर्णय के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं दूंगा / देंगे।

हस्ताक्षर

(नाम बड़े अक्षरों में)
फर्म की अधिकृत मोहर